प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 23/11/2022

माधोपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 116 / 2017 (223 आर.टी.एक्ट)

टी.एम.एस. संख्या:- 2017 / 00017

उनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द (मृतक)

1/1 महेन्द्र प्रकाश पुत्र कन्हैया लाल जाति बैरवा उम्र 45 साल पेशा काश्त निवासी ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूगर जिला सवाई माधोपुर राज० ।

1/2 अग्नी प्रकाश पुत्र कन्हैयाल लाल जाति बैरवा उम्र 40 साल पेशा काश्त निवासी ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूगर जिला सवाई माधोपुर राज० ।

1/3 वैन बाई पुत्री कन्हैया लाल जाति बैरवा उम्र पेशा काश्त निवासी ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूगर जिला सवाई माधोपुर राज० ।

अपीलान्टान।

बनाम

1- श्रवण लाल पुत्र रामचन्दर जाति बैरवा उम्र 40 पेशा निवासी ग्राम मलारना चौड़ तहसील मलारना डूगर जिला सवाई माधोपुर राज० ।

2- मोहन लाल पुत्र नाथू लाल जाति पूर्विया उम्र 42 निवासी ग्राम मलारना चौड़ तहसील मलारना डूगर जिला सवाई माधोपुर राज0।

3- बाल किशन पुत्र नाथू लाल जाति पूर्विया उम्र 48 पेशा निवासी ग्राम मलारना चौड़ तहसील मलारना डूगर जिला सवाई माधोपुर राज०

4- लल्लू लाल पुत्र रामविलास जाति पूर्विया उम्र 55 पेशा निवासी ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूगर जिला सवाई माधोपुर राज०।

5- घनश्याम पुत्र रत्राम जाति मीना उम्र पेशा 50 निवासी ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूगर जिला सवाई माधोपुर राज।

6- गिरिराज पुत्र शंकर जाति पूर्विया उम्र 50 पेशा निवासी ग्राम मलारना, चौड तहसील मारना डूगर जिला सवाई माधोपुर

7- शम्भू पुत्र अम्बालाल जाति पूर्विया उम्र 48 पेशा निवासी ग्राम मलारना चौड़ तहसील मलारना डूगर जिला सवाई माधोपुर राज0।

8. बदरीलाल पुत्र धन्नालाल जाति पूर्विया 52 उम्र पे... ग्राम मलारना चौड़ तहसील मलारना डूगर जिला सवाई माधोपुर राज0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:53 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

[..]ोषमल पुत्र रामलाल जाति महाजन अग्रवाल उम्र 60 पेशा निवासी ग्राम मलारना चौड़ [त]हसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज०।

[..] कैलाश चन्द पुत्र कजौड़ीलाल जाति पुलिया उम्र 40 पेशा निवासी ग्राम मलारना चौड़ [त]हसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज०।

1[.]कैलाश पुत्र मोतीलाल जाति पुलिया उम्र 42 पेशा निवासी ग्राम मलारना चौड़ तहसील लाड़ेना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज०।

[..] रामचन्दर पुत्र भारथा जाति हरिजन..........दौराने दावा मृत्यु

[1]2/1 शम्भूलाल पुत्र रामचन्दर जाति हरीजन उम्र 43 पेशा मजदूरी निवासी ग्राम मलारना चौड़ तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज०।

[1]2/2 श्याम लाल पुत्र रामचन्दर जाति हरीजन उम्र 36 पेशा मजदूरी निवासी ग्राम मलारना चौड़ तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज०।

12/3 राजूलाल पुत्र रामचन्दर जाति हरीजन उम्र 30 पेशा मजदूरी निवासी ग्राम मलारना चौड़ तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज०।

12/4 दिनेश कुमार पुत्र रामचन्दर जाति हरीजन उम्र पेशामजदूरी निवासी ग्राम मलारना चौड़ तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज०।

12/5 श्रीमति गीता पुत्री रामचन्दर जाति हरीजन उम्र 30 पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम मलारना चौड़ तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज०।

12/6 श्रीमति लक्ष्मी पुत्री रामचन्दर जाति हरीजन पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम मलारना चौड़ तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज०।

12/7 श्रीमति विमला पुत्री रामचन्दर जाति हरीजन उम्र 40 पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम मलारना चौड़ तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज०।

13 लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राज०।

रेस्पांडेन्टस।

उपस्थित :-

1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय अभिभाषक
2. श्री अभय गुप्ता रेस्पोडेन्ट 1 लगा० 12/7
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट उपस्थित

—::निर्णय::—

दिनांक 2̶1.11.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:53 IST
Reason: SelfAttested

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी [illegible] मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 30/2010 [illegible] वगैरहा बनाम

[अ]पील प्राधिकारी
[सवा]ई माधोपुर

[स]त्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

भवणलाल वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा 2485 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा वादी को दिनांक 01.08.70 को आवंटित की गई थी। वादी आवंटित भूमि के अनुसार मौके पर काबिज वादी के चाचा कालू ने वादी को आवंटित भूमि के 1 बीघा जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अदालत मातहत में वादी संख्या 98/87 के लम्बित रहने के दौरान ही फर्जी तरीके से राजस्व कार्मिक द्वारा गलत तरमीम कर दी गई, और वादी की काबिज भूमि को विवादित दिशा में कर दिया जबकि कालू को आवंटित भूमि की तरमीम उसके आवंटित कब्जाशुदा भाग पर कर दिया। अदालत मातहत द्वारा वाद संख्या 98/87 को वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। परन्तु अब प्रतिवादीगण जबरदस्ती कब्जा कर अवैध निर्माण करने पर आमदा है। वादीगण ने मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के समक्ष वाद पत्र इस आशय मे पेश किया कि प्रतिवादीगण को विवादित आराजीयात मे से बेंदखल कर दखल वादी को दिलाया जावे, एवंम् सभी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर ने दिनांक 20.09.2017 को वादीगण के वाद में वादीगण विरुद्ध फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर वादीगण ने न्यायालय हाजा समक्ष अपील पेश की है।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा 2485 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा वादी को दिनांक 01.08.70 को आवंटित की गई थी। आवंटन के बाद आंवटित भूमि का कब्जा वादी को संभलाया जाकर रिकार्ड में वादीके नाम बतौर खातेदार अंकित कर दिया एवं जिस स्थान पर वादी को कब्जा दिया गया उस स्थान पर वादी आज तक काबिज है। वादी के चाचा कालू को भी खसरा नम्बर 2485 में वादी के समान भूमि आवंटित की गई थी एवं कब्जा संभलाया गया था। परन्तु बाद में वादी को आवंटित भूमि के पास से सड़क मार्ग निकल जाने से वादी के हिस्से की भूमि की कीमत बढ़ गई। जिससे वादीगण के चाचा कालू की नियत में बेईमानी आने से वादी के हिस्से की लगभग 1 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया। जिसके लिए एक वाद कन्हैया बनाम कालू वादी द्वारा पेश किया गया है जो अभी मातहत अदालत के समक्ष लम्बित है। जिसमें न्यायालय द्वारा कालू को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है। लेकिन इस दौरान वादीगण के चाचा कालू ने 1 बीघा भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर विक्रय पत्र प्रतिवादीगण को करवा दिया इस कारण वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अतः वादीगण द्वारा जरिये वाद पत्र निवेदन किया गया है कि मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2017 को अपास्त कर अपील स्वीकार फरमाई जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:53 IST
Reason: SelfAttested

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टस्/प्रतिवादीगण ने अपीलांट/वादीगण की लगभग 1 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जो कि किसी भी प्रकार से वैध नहीं है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर द्वारा निर्णय करते समय यह तथ्य अनदेखा किया है कि जिस जगह वादी अपीलान्टान को भूमि आवंटित की गयी थी वो भूमि अपीलान्टस् की थी। इस का साक्ष्य पत्रावली पर यह था कि अपीलान्टस् की भूमि मेसे कुछ भाग राज्य सरकार द्वारा डिस्पेन्सरी के लिये अधिग्रहित किया था। जिसका मुआवजा अपीलार्थी को प्रदान किया गया था। अगर वह स्थान कालू काहोताती उसका मुआवजा कालू को प्रदान किया जाता फिर भी मातहत न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया , जो विधि विरूद्व है। आगे कथन करते हुए कहा कि अपीलान्टस् आराजी के रिकार्डेड खातेदार है, तथा मौके पर आवंटित भू–भाग पर काबिज है। अतः मातहत अदालत का निर्णय दि[illegible] 2017 निरस्त कर ,अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

9. हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

10. रिकार्ड अवलोकन करने पर पाया गया कि नकल जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 2485 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा कन्हैया पुत्र मूलचन्द की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार मलारना डूंगर की रिपोर्ट दिनांक 29.05.2012 के अनुसार इसके नवीन खसरा नम्बर 3715 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 3717 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 3718 रकबा 1.39 हैक्टेयर, 3726 रकबा 0.22 हैक्टेयर , 3730 रकबा 0.38 हैक्टेयर , 3732 रकबा 0.04 हैक्टेयर बने हैं जो वादी कन्हैया की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 3728 रकबा 0.44 हैक्टेयर सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज है। पत्रावली में न तो अपीलार्थी न ही रेस्पोडेन्टगण की तत्कालीन आवंटितशुदा भूमि को नक्शा ट्रेस संलग्न नही है, और न ही अपीलार्थी द्वारा मुआवजा रसीद पेश की है।

11. संक्षेप मे अपीलार्थी जिस तथ्य पर वाद/अपील लाया है, उससे संबधित कोई दस्तावेज/साक्ष्य मौजूद नही है। बल्कि तहसीलदार मलारना डूंगर की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2022 के अवलोकन से जाहिर आया कि, अपीलार्थी को आराजीयात खसरा नम्बर 2485 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा के नये नम्बर खसरा नम्बर 3715 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 3717 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 3718 रकबा 1.39 हैक्टेयर, 3726 रकबा 0.22 हैक्टेयर , 3730 रकबा 0.38 हैक्टेयर , 3732 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 2.67 हैक्टेयर पर मौके पर काबिज है।

12. इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन मे या आधार में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से, अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के मुकदमा नम्बर 20/2010 बउनवान कन्हैयालाल वगैरहा बनाम श्रवणलाल वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो, नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरि राम मीणा)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner